न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या:– 28/2019

विद्या देवी पुत्री हरदास पत्नी सीताराम जाति ओड साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थीया

–:बनाम:–

1. धनपतराम पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन 2 पीबीएन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	प्रार्थी
2. श्री कुलदीप सिंह रमाणा	अप्रार्थी संख्या 1
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18/12/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीया के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 1 पीबीएन के खाता सं. 11 के प.नं. 54/286 के किला नं. 11 ता 13, 14/.126, 15/.127, 16 कुल 1.265 हैक्ट. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 पीबीएन के खाता सं. 26 के प.नं. 54/286 के किला नं. 22 ता 25 की 1.012 हैक्ट., प.नं. 54/287 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्ट., प.नं. 54/288 के किला नं. 5/1, 6/1, 16/1, 25/1 की 0.125 हैक्ट. इस प्रकार कुल तादादी 7.462 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि चक 1 पीबीएन के प.नं. 54/287 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक मे 2–2 बिस्वा स्वीकृत शुदा रास्ता है जो वर्तमान मे बिना किसी वाद विवाद के चला रहा है और प्रार्थीया अपनी भूमि मे जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 1 पीबीएन के प.नं. 54/286 के किला नं. 25 मे 0.013 हैक्ट. बैजानिव पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता का उपयोग करती आ रही है और वर्तमान में भी उक्त राता से ही प्रार्थीया अपनी कषि भूमि मे आवागमन करती है। प्रार्थीया को उक्त रास्त के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीलगता है और ना ही वर्तमान मे प्रार्थीया की भूमि को अन्य कोइ स्वीकृत शुदा रास्ता हो या चल रहा हो। इसलिए प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि के आवगमन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 1 पीबीएन के प.नं. 54/286 के किला नं. 25 मे 0. 013 हैक्ट. बैजानिव पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत करवाना चाहती है जो कि राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत किया जाकर रास्ता का अंकन किया जावे और प्रार्थीया उक्त रास्ता के बदले अप्रार्थी सं. 1 को खाला के लिए भूमि देने के लिए बाध्य व रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने के लिए बाह्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थी सं. 2 भू धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार एवं उनकी अहम जबावदेही है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 1 पीबीएन के प. नं. 54 / 286 के किला नं. 25 मे 0.013 हैक्ट. बैजानिव पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत किया जाकर रास्ता का अंकन किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री कुलदीप सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है शामिल वाद पत्र है। जवाब अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जबाव निम्न प्रकार है कि – यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे जिस प्रकार कथन वर्णित किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थीया अपनी भूमि मे आने जाने हेतू प. नं. 54/286 के किला न. 25 मे पूर्वी दिशा मे उत्तर से दक्षिण लम्बा 0.013 हैक्टर भूमि रास्ते के रूप मे उपयोग करती चली आ रही हो। प्रश्नगत चक 1 पी बी एन के प. न. 54/286 के किला न. 7 ता 21 की 3.795 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के पिता हरदास की भूमि थी जो उनकी मृत्यु के पश्चात वर्ष 2007 मे इन्तकाल सं. 155 के जरिये प्रार्थीया की माता कोयला देवी, प्रार्थीया व प्रार्थीया की बहनो जमना देवी, गुर्जर देवी के नाम विरास्तन दर्ज हुई। प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता व प्रार्थीया की बहिनो को विरास्त मे प्राप्त हुई भूमि प. न. 54/286 का किला न. 21 स्वीकृत शुदा रास्ता प. न. 54/287 के किला न. 1 से चिपते हुये था जिससे प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता व बहिने अपनी भूमि अपनी भूमि के किला न. 21 मे रास्ते से प्रवेश करके अपनी भूमि का उपयोग कर रही थी। प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता व बहिनो ने अपने नाम की दर्ज प. न. 54/286 के किला न. 7 ता 21 मे से किला न. 8, 9, 10, 17 ता 21 की 2. 024 हैक्टर भूमि कुलदीप सिंह पुत्र निर्मल सिंह, लखवीर सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी लोगवाला को विक्रय कर दी व अपनी शेष बची भूमि प. न. 54/286 के किला न. 11 ता 16 की 1.265 हैक्टर के उपयेग हेतू अपने द्वारा विक्रय की गई भूमि के किला न. 20,21 अपनी मे से रास्ते का उपयोग करते हुये अपनी भूमि काश्त करने लगे। प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर किला न. 20 व 21 की भूमि कुलदीप सिंह व लखवीर सिंह को विक्रय की गई है। इसी कारण 1 ता 3 के खातेदार बलविन्द्र सिंह पुत्र प्रार्थीया ने अपनी व प. न. 54/286 के किला न. गुरनामा सिंह व प. न. 54/286 के अन्य काश्तकारो के लिये प. न. 54/286 के किला न. 10,11,20,21 मे रास्ता स्वीकृत किया जाने से सभी काश्तकारो को रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी मे से रास्ते की मांग नही करते हुये मुझ अप्रार्थी सं. 1 के किला न. 25 मे से प्रार्थीया ने महज मुझ अप्रार्थी सं. 1 की भूमि कम करने व टुकडो मे विभाजित करने के दूर्भावनापूर्वक आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से पूर्व चक 1 पी बी एन के प. न. 54/286 के सभी खातेदारो को [illegible] आवश्यक है जिससे सभी काश्तकारो को रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो सके। [illegible] प्रस्तुत पार्थना पत्र मे दर्ज प्रार्थीया के नाम की भूमि के लिये प्रार्थीया [illegible] 286 के किला न. 20, 21 के पश्चिम दिशा मे रास्ते का उपयोग [illegible] प्रवेश करती चली आ रही है के लिये प. न. 54/286 के किला न. 20,21 मे रास्ता स्व[illegible] किया जाना उचित है। प्रार्थीया मुझ अप्राथी सं. 1 की भूमि चक 1 पी बी एन के प. न. 54/286 के किला न. 21 मे 0.013 हैक्टर भूमि किसी रूप मे रास्तास्वीकृत करवाने की अधिकारीणी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 कानूनी है। यह कि प्राथना पत्र की चरण सं. 5 कानूनी है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज मुझ अप्रार्थी

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:12 IST
Reason: SelfAttested

सं. 1 को तंग व परेशान करने के दूर्भावनापूर्वक आशय से प्रार्थीया मुझ अप्रार्थी सं.1 की भूमि चक 1 पी बी एन के प.नं. 54/286 के किला नं.25 में 0.013 हैक्टर भूमि में किसी भी रूप में रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारीणी नही होने के पश्चात भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा की जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 2284 दिनांक 28.09.21 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प0न0 54/286 (22) के कि0न0 25 की पूर्वी दिशा में मौका पर चालू नही है। प्रतिवादी गण की कृषि भूमि एकल खाते की है जिसे प्रतिवादी बनाया गया है। वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते से कोई अन्य कम दूरी का रास्ता उपलब्ध नही है। वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक जो कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के पूर्व दिशा की तरफ प0न0 55/286 (27) के कि०न० 20 व 21 में लगभग 15–26 फुट चौड़ा रास्ता मौका पर मौजूद है। उक्त किले मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जसौदा देवी पत्नी भगवानदास जाति अरोड़ा वगैरा के सांझे खाते में दर्ज है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र एवं हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण बाद तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव हमारे द्वारा मौका निरिक्षण के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प0न0 54/286 (22) के कि0न0 25 की पूर्वी दिशा में मौका पर चालू नही है। प्रतिवादी गण की कृषि भूमि एकल खाते की है जिसे प्रतिवादी बनाया गया है। वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते से कोई अन्य कम दूरी का रास्ता उपलब्ध नही है। इसलिए तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः चक 1 पीबीएन के प.नं. 54/286 के किला नं. 25 मे 0.013 हैक्ट. बैजानिव पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी से उक्त रास्ता के प्रतिफल के रूप में डीएलसी की दुगना राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक .... को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:12 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा